


प्रेस नोट:-अभियुक्त वकील कुरैशी पुत्र अब्दुल अजीज निर्गम— मौजूदगानान कस्बा / थाना शेरकोट जनपद बिजनौर की संपत्ति (करीब 20 करोड़ 33 लाख 62 हजार) कुर्क।

अवगत कराना है कि अभियुक्त वकील कुरैशी पुत्र अब्दुल अजीज निर्गम— मौजूदगानान कस्बा / थाना शेरकोट जनपद बिजनौर गैंगस्टर अधिनियम का अभियुक्त है तथा थाना शेरकोट का हिस्ट्रीशीटर है। अभियुक्त वकील कुरैशी उपरोक्त एक शातिर अपराधी है। जनपद में इसके विरुद्ध माफिया गैंग 202013160002123 / 22 पंजीकृत है। इसके विरुद्ध थाना शेरकोट जनपद बिजनौर पर मुद्रा 259 / 2020 धारा 2/3 उम्र 0 प्रो गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 व मुद्रा 71/20 धारा 420/467/468/471 / 12D भादवि, मुद्रा 234/19 धारा 500/504/505(2) 186/189,67 आईटी०एक्ट, मुद्रा 119/93 धारा 147/148/49 / 307 / 452/504 / 427 / 506 भादवि तथा थाना धामपुर पर मुद्रा 2573 / 08 धारा 147 / 148 / 394 / 352 / 323 / 324 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त संगठित रूप से अपने व गिरोह के लिये अनुचित दुनियावी आर्थिक, भौतिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपराध कर धनोपार्जन करता है, जिसका क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त है। अभियुक्त के द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर अपराधिक कृत्य कर धन अर्जित कर चल / अचल सम्पत्ति करीब 20,33,62,116/- (20 करोड़ 33लाख, 62 हजार, 116 रुपये) रुपये अर्जित की है। आज दिनांक 24.11.2020 को जिलाधिकारी बिजनौर के आदेश के अनुपालन में गैग० एक्ट की धारा 14 (1) की कार्यवाही के अन्तर्गत सम्पत्ति पर कुर्की की कार्यवाही की गयी है।

अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है। उक्त सम्पत्ति अभियुक्त द्वारा अपराधिक कृत्य कर अवैध रूप से अर्जित की गयी है जिसकी अनुमानित कीमत करीब 20,33,62,116/- (20 करोड़ 33लाख, 62 हजार, 116 रुपये) रुपये है। मौके पर शान्ति है।



थाना रेहड़:- आज दिनांक 24.11.2020 को थाना रेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त मुजाहिद पुत्र असगर निवासी ग्राम हसनपुर थाना रेहड़ जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 146/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।



थाना स्योहारा:- आज दिनांक 24.11.2020 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1— शमशाद पुत्र भूरा उर्फ इस्लामुदीन निवासी मौ0 बजरिया सराय कस्बा /थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 606/20 धारा 4/25 ए एक्ट 2— कलुआ सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी मौ0खान तलाई कस्बा शाहपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 608/20 धारा 411 भादवि मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



प्रेस नोट:-

अवगत कराना है कि जनपद बिजनौर के निम्न अपराधी पर गुण्डा अधिनियम की कार्यवाही के उपरान्त 6 माह के लिए जिला बदर किया जाता है।

क्रंसं०	नाम पता अपराधी	वाद सं०	धारा	थाना	जिला बदर होने का दिनांक	अवधि
1	नसीम पुत्र श्री अमीर निवासी ग्राम रेहरा थाना हीमपुरदीपा जनपद बिजनौर	डी 201913160000745	3(1)य०पी० गुण्डा अधि०	हीमपुर	20.11.2020	06 माह
2	मंजूर सिंह पुत्र श्री बरियाम निवासी ग्राम मीरपुर सीकरी थाना हीमपुरदीपा जनपद बिजनौर	डी 201913160001253	3(1)य०पी० गुण्डा अधि०	हीमपुर	20.11.2020	06 माह
3	फरमान पुत्र रईस निवासी ग्राम दिनौडा थाना नांगल जनपद बिजनौर	डी 7 202013160001062	3(1)य०पी० गुण्डा अधि०	नांगल	10.11.2020	06 माह
4	मुकीम पुत्र यामीन निवासी मौ० थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर	डी 202013160000850	3(1)य०पी० गुण्डा अधि०	बढ़ापुर	18.11.2020	06 माह
5	मनीष कुमार उर्फ मोनू पुत्र रोहताश सिंह निवासी ग्राम हरदासपुर थाना को०देहात जनपद बिजनौर	डी 201913160001706	3(1)य०पी० गुण्डा अधि०	को०देहात	10.11.2020	06 माह
6	रिजवान पुत्र कासिम नि�० मुजाहिदा पटटी भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर	डी 202013160000885	3(1)य०पी० गुण्डा अधि०	मण्डावली	10.11.2020	06 माह
7	अचिन कुमार पुत्र भोपाल सिंह नि�० ग्राम हरदासपुर थाना को०देहात जनपद बिजनौर	डी 201913160001718	3(1)य०पी० गुण्डा अधि०	को०देहात	10.11.2020	06 माह
8	मुजवीर रहमान पुत्र तौकिर नि�० सराय इम्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर	डी 202013160000881	3(1)य०पी० गुण्डा अधि०	किरतपुर	18.11.2020	06 माह

जिला बदर की कार्यवाही के उपरान्त संबंधित ग्राम प्रहरी (चोकीदार), ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, सभासद, चेयरमैन आदि को उक्त अभियुक्तगण का नाम, पता व हुलिया बताया गया। जिला बदर की अवधि के दौरान उक्त अभियुक्तगण जनपद की सीमा में मिलते हैं तो इसकी सूचना तुरन्त संबंधित थाना प्रभारी को देना सुनिश्चित करें ताकि इन पर वैधानिक कार्यवाही की जा सके।

थाना नगीना:- आज दिनांक 24.11.2020 को थाना नगीना पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तगण 1— महिपाल पुत्र निर्मल सिंह निवासी ग्राम खुर्रम पुर डल्लू उर्फ धर्मशाला गली 2— इमरान पुत्र इनाम अली 3— इनाम अली पुत्र नत्थु खान 4— मौ० साकिब पुत्र इकबाल अहमद 5— इंतखाब आलम पुत्र इकबाल आलम निवासी ग्राम बड़ाला थाना नगीना जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



जनपद बिजनौर दिनांक—24.11.2020



आज दिनांक 24.11.2020 को थाना हीमपुरदीपा पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा दयानन्द इंटर कॉलेज मे जाकर उ०प्र० सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।



आज दिनांक 24.11.2020 को थाना चांदपुर पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानों पर खुले महिला हैल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया।



आज दिनांक 24.11.2020 को थाना धामपुर पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा ७०प्र० सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानों पर खुले महिला हैल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया।





आज दिनांक 24.11.2020 को प्रभारी एंटी रोमियो टीम द्वारा बिजनौर शहर मे उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानों पर खुले महिला हैल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों बाजारों में मंचलों पर शिकंजा कसा।





आज दिनांक 24.11.2020 को थाना नूरपुर पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा निर्मल पब्लिक स्कूल व ग्राम मंडोरा मे उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानों पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों बाजारों मे मंचलों पर शिकंजा कसा।



